राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

कमांकः डीसी/विधि/2014/48 दिनांक :– 28-02-14

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 49/2011 सरकार बनाम मोती सिंह, अजमाल सिहं व अन्य मे पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान सेशन न्यायाधीश–अजमेर, ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 22.01.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (16)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

88/127

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर

सेशन प्रकरण संख्या– 49/2011

राज्य बनाम
1. मोती सिंह पुत्र मोट सिंह, जाति रावत, निवासी खोड़माल, पुलिस थाना टाटगढ़, जिला अजमेर।
2. अजमाल सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति रावत, निवासी रामपुरा खोड़माल, हाल कामलीघाट, थाना टाटगढ़, जिला अजमेर।
3. प्रताप सिंह पुत्र भीम सिंह, जाति रावत, निवासी जस्साखेड़ा, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द।
4. सम्पत सिंह उर्फ सोनू पुत्र भगवत सिंह, जाति रावत, निवासी बगड़, पुलिस थाना देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. हेम सिंह पुत्र गेन्द सिंह, जाति रावत, निवासी बरजाल, पुलिस थाना दिवैर, जिला राजसमन्द।
6. गणपत सिंह उर्फ बबलू पुत्र नारायण सिंह रावत, निवासी खोडमाल, पुलिस थाना टाटगढ, जिला अजमेर।
7. भगवान पुत्र हरजी लुहार, निवासी तारागढ़ पुलिस थाना जवाजा, जिला अजमेर।
8. भंवर सिंह पुत्र हजारी सिंह, जाति रावत, निवासी खोडमाल, पुलिस थाना टाटगढ़, जिला अजमेर।
9. वैण सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति रावत, निवासी खोडमाल, पुलिस थाना टाटगढ़, जिला अजमेर।
10. प्रेम चन्द पुत्र तारा चन्द, जाति खटीक, निवासी जस्साखेड़ा, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द।
11. योगेन्द्र सिंह उर्फ हीरा सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, जाति रावत, निवासी खोडमाल, पुलिस थाना टाटगढ़, जिला अजमेर।

— अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा–3(b), 18(a)(i), 18(a)(vi), 18(b),16(1)(a), 17(b),17(c),17A(a), 17A(b), 17A(e), 17A(f),17B(b),17B(d),17B(e) 27(a), 27(b)(ii), 27(d), 28, 22(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, धारा–407, 420, 120–बी भा.दं.सं. एवं धारा–3/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थित :–

श्री विवेक पाराशर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
श्री नरेश अरोड़ा, अधिवक्ता अभियुक्त वैण सिंह की ओर से।
श्री तुलवीर सिंह, अधिवक्ता–अभियुक्त प्रेम चन्द की ओर से।
श्री संजय चौरी, अधिवक्ता–शेष अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय दिनांक : 22.01.2014

दिनांक 20–1–2012 को ईश्वर सिंह पी.डब्लू. 3, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर द्वारा यह परिवाद प्रदर्श पी–58 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के न्यायालय में पेश किया गया। इसमें यह गृष्ठांकन किया गया कि इससे

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2011, आरक्षी केन्द्र टाटगढ का नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 698/2011, सरकार बनाम मोती सिंह व अन्य दिनांक 29.06.2011 को जिला न्यायाधीश को कमिट किया गया है। इससे पूर्व दिनांक 10.06.2011 को एक आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–17, 17(a), 17(b)सपठित धारा–17(a) (1)(vi), 18(c), 27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, एवं धारा–407, 420, 120–बी भा.दं.सं. अभियुक्तगण संख्या–1 से 8 के विरूद्ध पेश हुआ। एक अभियुक्त प्रहलाद को विधि विरूद्ध किशोर बताया गया जिसके विरूद्ध आरोप–पत्र सम्बन्धित किशोर बोर्ड में प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 29.06.2011 को प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के न्यायालय से कमिट हुआ। दिनांक 13.02.2012 को अभियुक्त प्रेम चन्द व बैण सिंह के विरूद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश हुई तथा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–58 भी इस आरोप पत्र के साथ संलग्न किया गया।

2– तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि दिनांक 12.03.2011 को दिन के करीब 12.00 बजे परिवादी श्री ईश्वर सिंह को थानाधिकारी पुलिस थाना टाटगढ़ जिला अजमेर ने दूरभाष से सूचना दी कि रामपुरा खोड़माल में एक घर में दवाइयों को पाउडर के ड्रमों से निकाल कर उस में पत्थर व नमक भरा जा रहा है, संदेह है कि दवाइयों के सही पाउडर को निकाल कर उसमें पत्थर व नमक का पाउडर भरा जा रहा है।. इस सूचना पर औषधि नियंत्रक, जयपुर से आदेश प्राप्त कर परिवादी व अजीत जैन चैकिंग पर गये। जहां थानाधिकारी छोटेलाल मीणा मय जाप्ते के उपस्थित थे तथा मौके पर सात व्यक्ति अजमाल सिंह, मोती सिंह, प्रताप सिंह, सम्पत सिंह उर्फ सोनू, हेम सिंह रावत, गणपत सिंह उर्फ बबलू व प्रहलाद बताये और यह बताया कि दो तीन व्यक्ति भाग गये। मौके पर रिहायशी मकान था जिसमें तीन कमरे, एक छोटी भुखारी बने हुए थे, मौके पर अभियुक्त अजमाल सिंह ने परिवादी को बताया कि मकान उसका है और मोती सिंह अभियुक्त ने बताया कि वह ट्रक संख्या जीजे–01–बीटी–8290 का ड्राईवर है तथा ट्रक को सम्पत सिंह व हेम सिंह के सहयोग से वहां लाते थे, मकान सम्पत सिंह, हेम सिह को किराये पर देना बताया, किराये के दस्तावेज नहीं लिखाये, अजमाल सिंह का मौके पर अलग से आना बताया, मोती सिंह ट्रक ड्राइवर ने बताया कि दिनांक 10.03.2011 को तोन्सा, पंजाब से ट्रक में दवाइयां अन्य सामानों के साथ डीएसएम एन्टी–इन्फेक्टिव इंडिया लिमिटेड, तोन्सा पंजाब द्वारा निर्मित दवाइयों का पाउडर लेकर आया, दिनांक 12.03.2011 को सुबह वह जस्साखेड़ा पहुंचा जहां उसे सम्पत सिंह, हेम

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

सिंह मिले और उनके साथ ट्रक को लेकर घटनास्थल पर आये। कुल 94 प्लास्टिक के ड्रम मौके पर थे। सभी ड्रमों की मूल सील जो डीएसएम कम्पनी द्वारा लगाई गई थी जो अभियुक्तों द्वारा तोड़ी जा चुकी थी और दवाइयों का पाउडर निकाल कर उसके स्थान पर पत्थर व नमक भरा जा चुका था। परिवादी ने मौके पर सैम्पल लिये इसका विवरण फार्म नं.17 में दर्ज किया और फार्म नं. 17 मुलजिम अजमाल सिंह के नाम से बनाया गया और उसे सैम्पल की राशि दी गई जिसे उसने लेने से इंकार किया। उक्त सैम्पल बाद जांच चार सैम्पल मानक नहीं पाये गये। इस पर अभियोजन की की स्वीकृति प्रदर्श पी–55 प्राप्त की जिसके द्वारा परिवादी को अभियोजन चलाने के लिए अधिकृत किया गया और इसके आधार पर परिवाद प्रदर्श पी–58 पेश किया गया।

3– परिवादी द्वारा मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 जो कारवाई विवरण के रूप में बनाई गई उसकी एक प्रति थानाधिकारी आरक्षी केन्द्र टाटगढ को भेजी गई जिसने प्रसंज्ञेय अपराध होने के कारण प्रथम सूचना संख्या 10/2011 प्रदर्श पी–22 दर्ज की और बाद अनुसंधान आरोप पत्र भी पेश किया साथ ही परिवादी ने भी परिवाद पेश किया। प्रकरण की अंवीक्षा सम्मिलित रूप से की गई।

4– दिनांक 30–05–2012 को अभियुक्त मोती सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा–3(b), 18(a)(i), 18(a)(vi), 18(b),16(1)(a), 17(b),17(c),17A(a), 17A(b), 17A(e), 17A(f),17B(b),17B (d),17B(e) (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, धारा–407, 420, 120–बी भा.दं.सं., व अजमाल सिंह को धारा–3(b), 18(a)(i), 18(a)(vi), 18(b),16(1)(a), 17(b),17(c),17A(a), 17A(b), 17A(e), 17A(f),17B(b),17B (d),17B(e) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, धारा–407, 420, 120–बी भा.दं.सं. एवं धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त प्रताप सिंह, सम्पत सिंह, हेम सिंह, गणपत सिंह, भगवान लाल, भंवर सिंह, बैण सिंह, प्रेम चन्द, योगेन्द्र सिंह उर्फ हीरा सिंह को धारा–3(b), 18(a)(i), 18(a)(vi), 18(b),16(1)(a), 17(b),17(c),17A(a), 17A(b), 17A(e), 17A(f),17B(b),17B (d),17B(e) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, एवं धारा–120बी भा.दं.सं. के आरोप सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने अपराध करने से इंकार किया व अन्वीक्षा चाही।

5– दौरान अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू–1 सत्यव्रत, पी.डब्ल्यू–2 जीवन सिंह, पी.डब्ल्यू–3 ईश्वर सिंह, पी.डब्ल्यू–4

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
पक्ष प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

रतन सिंह, पी.डब्ल्यू–5 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू–6 मनोज कुमार झा, पी.डब्ल्यू–7 अलाउद्दीन, पी.डब्ल्यू–8 विजय कुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू–9 रजनीश गुप्ता, पी. डब्ल्यू–10 राकेश यादव, पी.डब्ल्यू 11 रणवीर सिंह, पी.डब्ल्यू. 12 मानवेन्द्र सिंह, पी. डब्ल्यू 13 जेठा सिंह, पी.डब्ल्यू–14 तारू सिंह, पी.डब्ल्यू–15 कैलाश गुर्जर, पी. डब्ल्यू–16 खेमचन्द, पी.डब्ल्यू–17 रोहिताश्व, पी.डब्ल्यू–18 छोटीलाल मीणा व पी. डब्ल्यू–19 विक्रम सिंह के बयान करवाये गये।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 निरीक्षण बाबत् पत्र की कार्बन प्रति, प्रदर्श पी–2 जब्तशुदा कारतूस की निरीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी–3 नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम वी एक्ट, प्रदर्श पी–4 रिलीज आर्डर जीवन सिंह, प्रदर्श पी–5–ए राजस्थान राजपत्र दिनांक 06.03.1997, प्रदर्श पी–6ए राजस्थान राजपत्र दिनांक 06.04.2002, प्रदर्श पी–7–ए श्री ईश्वर सिंह के स्थानान्तरण आदेश की प्रति, प्रदर्श पी–8 फार्म नं. 17, प्रदर्श पी–9 फार्म नं. 17ए, प्रदर्श पी–10 व प्रदर्श पी–11 दवाई का बैच नम्बर व तोल का चिट, प्रदर्श पी–12, 13 बिल्टी, प्रदर्श पी–14,15 बिल, प्रदर्श पी–16 फार्म 403, प्रदर्श पी–17 वेट फार्म, प्रदर्श पी–18 औषधि बिल, प्रदर्श पी–19 राशन कार्ड अजमाल सिंह, प्रदर्श पी–20 फर्द रिपोर्ट दिनांक 12.03.2011, प्रदर्श पी–21 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–22 चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी–23 अजमाल सिंह को दिये गये नोटिस दिनांक 13.3.2011 की प्रति, प्रदर्श पी–24 कारवाई रिपोर्ट बाबत् पत्र दिनांक 14.3.2011, प्रदर्श पी–25 लगायत प्रदर्श पी–34 ईश्वर सिंह द्वारा ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री को प्रेषित पत्र मय फार्म नं.18, प्रदर्श पी–35 लगायत प्रदर्श पी–39 फार्म नं.13, प्रदर्श पी–40 औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया पत्र दिनांक 13.4.2011, प्रदर्श पी–41 औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को लिखा पत्र दिनांक 13.4.2011, प्रदर्श पी–42 औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा अजमाल सिंह को लिखा पत्र दिनांक 13.4.2011, प्रदर्श पी–43 औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा डीएसएम कम्पनी को लिखा पत्र दिनांक 23.4.2011 की प्रति, प्रदर्श पी–44 औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा एएफएल कम्पनी को लिखे पत्र दिनांक 13.5.2011 की प्रति, प्रदर्श पी–45 थानाधिकारी, टाटगढ द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–46 डीएसएम कम्पनी द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारी को लिखा पत्र दिनांक 19.03.2011 की प्रति, प्रदर्श पी–47 से प्रदर्श पी–49 रसीदें, प्रदर्श पी–50 औषधि नियंत्रण अधिकारी का पत्र दिनांक 27.05.2011,

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज0)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श पी–51 एएफएल कम्पनी का पत्र दिनांक 03.06.2011, प्रदर्श पी–52 विजीटिंग कार्ड यूनीफ्रेट, प्रदर्श पी–53 यूनीफ्रेट का लिफाफा, प्रदर्श पी–54 औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर का पत्र दिनांक 10.06.2011, प्रदर्श पी–55 नियत्रंण प्राधिकारी एवं औषधि नियंत्रक, जयपुर का अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 7.12.2011, प्रदर्श पी–56 औषधि नियंत्रण अधिकारी का पत्र दिनांक 29.12.2011, प्रदर्श पी–57 थानाधिकारी, टाटगढ द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारी को भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 3.1.2012, प्रदर्श पी–58 परिवाद, प्रदर्श पी–59 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–60 से प्रदर्श पी–65 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण प्रताप सिंह, अजमाल सिंह, मोती सिंह, हेम सिंह, गणपत सिंह, सम्पत सिंह, प्रदर्श पी–66 औषधि नियंत्रण अधिकारी का अजमाल सिंह को दिया गया पत्र दिनांक 13.3.2011, प्रदर्श पी–67 फर्द जब्ती पॉलीथीन थैलियां, प्रदर्श पी–68 फर्द जब्ती एल्यूमीनियम रंग सिल्वर थैलियां, प्रदर्श पी–69 फर्द जब्ती मैटेरियल, प्रदर्श पी–70 से प्रदर्श पी–72 फर्द जब्ती ड्रम्सए प्रदर्श पी–73 फर्द जब्ती वाहन ट्रक कन्टीनीयर, पिक अप, बोलेरो, मोटरसाईकिल, प्रदर्श पी–74 फर्द जब्ती बिल्टी, प्रदर्श पी–75 तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी–76 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–77 पुलिस बयान महेन्द्र सिंह, प्रदर्श पी–78 फार्म 403, प्रदर्श पी–79 व प्रदर्श पी–80 डीएसएम कम्पनी का टर्म कार्ड, प्रदर्श पी–81 नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट, प्रदर्श पी–82 विजय कुमार शर्मा का प्रार्थना पत्र, प्रदर्श पी–83 फर्द सुपुर्दगी जब्तशुदा माल व ट्रक, प्रदर्श पी–84 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भंवर सिंह, प्रदर्श पी–85 तस्दीक नक्शा मौका, प्रदर्श पी–86 बरामदगी स्थल बुलैट, प्रदर्श पी–87 तस्दीक घटनास्थल पत्थर का पाउडर, प्रदर्श पी–88 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भगवान लाल, प्रदर्श पी–89 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हीरा सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह, प्रदर्श पी–90 व 91 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला अभियुक्त हीरा सिंह, प्रदर्श पी–92 तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–93 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बैण सिंह, प्रदर्श पी–94 फर्द जब्ती बुलैट, प्रदर्श पी–95 तस्दीक नक्शा मौका, प्रदर्श पी–96 फर्द जब्ती मोबाइल, प्रदर्श पी–97 फर्द जब्ती जामातलाशी अभियुक्त अजमाल सिंह, प्रदर्श पी–98 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रेम चन्द, प्रदर्श पी–99 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–100 मालखाना रजिस्टर की प्रति, प्रदर्श पी–101 लगायत प्रदर्श पी–110 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रदर्श पी–111 से प्रदर्श पी–115 चालान की प्रतियां दिनांक 14.09.2012, प्रदर्श पी–116 से प्रदर्श पी–165 इन्वेंटरी दिनांक 19.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज0)

2012 मय फोटो मय कारवाई रिपोर्ट मय पत्र दिनांक 21.09.2012, प्रदर्श पी–166 फर्द रिपोर्ट दिनांक 12.03.2011, प्रदर्श पी–167 फार्म नं. 17, प्रदर्श पी–168 फार्म नं. 17ए, प्रदर्श पी–169 औषधि नियंत्रण का पत्र दिनांक 13.04.2011, प्रदर्श पी–170 अभियोजन स्वीकृति दिनांक 8.6.2011, प्रदर्श पी–171 लगायत प्रदर्श पी–179 रोजनामचे की प्रति, प्रदर्श पी–180 से प्रदर्श पी–182 फर्द इतला धारा–27 साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी–183 नक्शा मौका व प्रदर्श पी–184 एएफएल कम्पनी का विवरण प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

7. अभियुक्तगण के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. कलमबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया। परन्तु सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं की. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान ईश्वर सिंह को प्रदर्श करवाया।

8. बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवेचन किया गया।

9. योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण का कथन है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अपराध साबित करने में सफल नहीं रहा है। मुख्य रूप से यह तर्क रखा गया कि बरामदा स्थल से अभियुक्तगण का क्या संबंध है, यह साबित नहीं किया गया है तथा तथाकथित दवाइयां किसी अभियुक्त को न्यस्त की गई हो, यह साबित नहीं है तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श पी–36 से प्रदर्श पी–39 की प्रति सभी अभियुक्तगण को नहीं दी गई और न ही उन्हें अधिकारों से अवगत कराया गया जिसके कारण वे केन्द्रीय प्रयोगशाला से सैम्पल की जांच नहीं करवा सके। इसके अभाव में जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–36 से प्रदर्श पी–39 पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईश्वर सिंह पी.डब्ल्यू–3 ने मौके पर काम में ली गई सील को अपने पास रखा, सैम्पल भी अपने पास रखे इससे सैंपल को बदलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

10– जब कि योग्य लोक अभियोजक का कथन है कि आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अभियोजन औषधि नियंत्रक के द्वारा किया जाता है। इस हेतु परिवाद पेश किया गया है और चूंकि प्रसंज्ञेय अपराध है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी पी.डब्ल्यू–18 छोटेलाल द्वारा अनुसंधान किया गया, आरोप पत्र भी पेश किया गया, गवाहान के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है, औषधि नियंत्रण अधिकारी ईश्वर

प्रतिलिपि
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतिलिपिक
अजमेर (राज.) केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा

सिंह की अभियुक्तगण से कोई रंजिश नहीं है, वह अभियुक्तगण के विरूद्ध असत्य कथन करेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है तथा सेम्पल का एक भाग अभियुक्त अजमाल को दिया गया है, जिससे उसके बदलने जाने की कोई संभावना नहीं हो सकती।

अवधार्य बिन्दू :–

1–"आया अभियुक्त मोती सिंह वाहन संख्या जीजे–1–बीटी 8290 के चालक ने उसे न्यस्त किये गये सामान को अन्य अभियुक्तगण से षडयंत्र कर खुर्द बुर्द किया?

2–आया अभियुक्तगण मोती सिंह, अजमाल सिंह ने अन्य अभियुक्तगण के साथ षड़यंत्र कर मोती सिंह द्वारा लाई जा रही ट्रक में रखी औषधि को निकाल कर उसकी जगह नमक व पत्थर का पाउडर भर दिया?

3–आया अभियुक्त अजमाल सिह से शस्त्र (जिन्दा कारतूस) बरामद हुआ?

4–आया अभियुक्तगण ने दिनांक 12.3.2011 को आपराधिक षडयंत्र किया और ड्रमों को खोलकर उसमें से औषधि निकाल कर उसके स्थान पर पाउडर जो औषधि नहीं थी, भरा, उसका संग्रहण विक्रय करने के लिए किया?

अवधार्य बिन्दू का विनिश्चय :–

बिन्दू संख्या–1 का विनिश्चय अभियुक्त मोती सिंह के विरूद्ध किया जाता है। बिन्दू संख्या–2 का विनिश्चय केवल अभियुक्त अजमाल सिंह व मोती सिंह के विरूद्ध किया जाता है। बिन्दू संख्या–3 शस्त्र रखने का आरोप अभियोजन के विरूद्ध व अजमाल सिंह के हक में तय किया जाता है। बिन्दू संख्या–4 अभियुक्तगण (अलावा अभियुक्त अजमाल सिंह व मोती सिंह) के पक्ष में तय किया जाता है।

विनिश्चय के कारण :–

11. पी.डब्लू. 1 सत्यव्रत ने बरामदा कारतूस की जांच की है जिसने रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दी है जिसे जिन्दा आयुध की श्रेणी में माना एवं बताया कि मिस फायर कारतूस था।

12. पी.डब्लू. 2 जीवन सिंह वाहन बोलेरो का मालिक था व नोटिस प्रदर्श पी–3 पर जवाब देना स्वीकार कर बताया कि बोलेरो वाहन उसके नाम था जिसे उसने न्यायालय से भी प्राप्त किया है, अजमाल सिंह अभियुक्त उसका पुत्र है।

13. ईश्वर सिंह, पी.डब्ल्यू–3 ने औषधि नियंत्रक के आदेश एवं निर्देश पर जाना और मौके पर छोटेलाल थानाधिकारी के अलावा सात व्यक्ति बैठे होना और उनका नाम अजमाल सिंह, मोती सिंह, सम्पत सिंह, हेम सिंह, गणपत सिंह, प्रताप

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा

सिंह, प्रहलाद होना बताया। पास में खडे गांव के लोगों के स्वतन्त्र गवाह बनने के लिये तैयार न होने छोटेलाल व रोहिताश्व स्वतन्त्र गवाह बने और औषधि के ड्रम जिस मकान पर थे, उसमें तीन कमरे, एक बरामदा, साइड में ऊपर जाने की सीढ़िया थी। सीढ़ियों के नीचे बुखारीनुमा छोटा कमरा था, जिसे अभियुक्त अजमाल सिंह ने अपना होना बताया। अभियुक्तगण हेमसिंह व सम्पत सिंह को किरायेदार भी बताया, परन्तु कोई किरायानामा स्वीकृत रूप से नहीं है, न ही किराये का दस्तावेज है। मौके पर जो ड्रम थे, उसमें से एमोक्सीस्लिम बैच नं0 एम 592238 निर्माता डीएसएम लिखा, के 16 ड्रमों में से 3–4 ड्रम खाली पडे थे, 11–12 ड्रमों में कम्पनी की मूल सील तोड़ कर नमक व खड़िया मिट्टी भरी होना पाया, जिसके गवाह ने सेम्पल लिये। नमूनों का विवरण प्रदर्श–पी–18 तैयार किया। एक्स स्थान पर काम में ली गई सील का नमूना है। अजमाल सिंह के हस्ताक्षर ओ से पी करवाये, पांच सील्ड नमूने अभियुक्त अजमाल सिंह को मौके पर दिये और नमूनों की कीमत 1112/–रूपये अभियुक्तगण की सहमति से धामी, उसने लेने से इन्कार कर दिया, मौके से गवाह ने पांच नमूने विश्लेषण हेतू लेना बताया। एक नमूने के चार भाग होना बताया। इस प्रकार कुल 20 पैकेट नमूना लेना बताया। पांच पैकेट जांच हेतू राजकीय विशेषज्ञ को भेजे जिसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श–पी–35 से प्रदर्श–पी–39 प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट की प्रति सभी अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्त अजमाल सिंह को प्रदर्श–पी–42 दी। सभी अभियुक्तगण के कहने से अजमाल सिंह को सुपुर्द की जो केन्द्रीय कारागृह अजमेर में बन्द था, इसका पृष्ठांकन प्रदर्श–पी–42 में अ से ब है।

14. प्रतिपरीक्षण में इस गवाह का कथन है कि प्रदर्श–पी–12 व प्रदर्श–पी–13 बिल्टी है जिसमें ड्राइवर का नाम नहीं लिखा है। प्रदर्श–पी–14, पी–15, पी–16, पी–17 व पी–18 दवाइयों के बिल एवं एक्साइज के घोषणा–पत्र है। प्रदर्श–पी–19 अजमाल सिंह का राशनकार्ड है जो खोडमाल गांव का है। मौके की कार्यवाही प्रदर्श–पी–20 में दर्ज की, जिसमें ओ से पी अजमाल सिंह, आई से जे मोती सिंह के हस्ताक्षर होना बताया। विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श–पी–35 से प्रदर्श–पी–39 है। इस सुझाव से इन्कार किया कि मौके की रिपोर्ट प्रदर्श–पी–20 अभियुक्त अजमाल को नहीं दी हो। गवाह का यह भी कथन रहा है कि सेम्पल के कुल 20 पैकेट (भाग) थे, उसमें से पांच सेम्पल (भाग) अभियुक्त अजमाल को मौके पर दिये थे और शेष उसके पास रहे थे। नमूना सील को थाने में जमा नहीं

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

कराई। शेष 15 पैकेट को भी थाने में जमा नहीं कराये। काम में ली गई सील को उसने एफ.एस.एल. में जमा नहीं कराई। प्रदर्श–पी–8 पर अ से ब पृष्ठांकन में पांच नमूना सील प्राप्त करने के ओं से पी अजमाल सिंह के हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–4 रतन सिंह नक्शा मौका प्रदर्श–पी–75 का गवाह है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–5 महेन्द्र सिंह पक्षद्रोही है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–6 मनोज कुमार झा फैडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एवं सप्लाई वैन सर्विसेज इण्डिया प्रा.लि. का मैनेजर था, उसका कथन है कि दिनांक 11.3.2011 को उनकी कम्पनी की ट्रक सं0 जीजे–1 बीटी–8290 में गुडगांव से अहमदाबाद के लिये सभी बिल्टियों का माल डाल कर रवाना किया था। माल को उसके कर्मचारियों ने चैक भी किया। ट्रक पर सील लगाई जो वनटाइम सील होती है, जो गन्तव्य स्थान पर कम्पनी का माल उतारने पर खोली जाती है। जयपुर का माल उतार कर फिर गाड़ी को अहनदाबाद के लिये रवाना किया। वाहन को चालक मोती सिंह व वेण सिंह चला रहे थे। ट्रक में मेडिसीन का पाउडर था जो चण्डीगढ़ से पी.एस.एन. कम्पनी का माल पाउडर मेडिसीन का रॉ–मेटेरीयल था। प्रदर्श–पी–10 व पी–11 मेडिसीन पर चिपके हुए लेबल थे। प्रदर्श–पी–12 व पी–13 के ट्रांसपोर्ट की बिल्टियां है जिनकी नकल प्रदर्श–पी–12ए व पी–13ए है। उन्हें जानकारी मिली कि चालक मोती सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गाड़ी का कुन्दा तोड़कर उसमें रखी औषधियों से छेडछाड कर औषधि के स्थान पर अन्य पदार्थ डाल दिया। प्रतिपरीक्षण में गवाह का कथन है कि उसने कम्पनी के गेट के दस्तावेज जिसमें ट्रक का नम्बर एवं निर्माता का इन्द्राज होता है, को उसने पुलिस को नहीं दिया, क्योंकि पुलिस ने उससे नहीं मांगे।

18. गवाह पी.डब्ल्यू–7 अलाउद्दीन ट्रक सं. जीजे–1 बीटी 8290 का पंजीकृत स्वामी है। जिस पर दिनांक 12.3.2011 को ड्राइवर मोती सिंह नियुक्त था व चला रहा था तथा दस्तावेज प्रदर्श–पी–81 उसने पेश किया।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–8 विजय कुमार शर्मा है, जिसने दिनांक 11.3.2011 को गाड़ी सं. जीजे–1 बीटी 8290 को गुडगांव से लोड़ करके अहमदाबाद के लिये रवाना किया। यह एक क्लोज बॉडी कन्टेनर थी जिसमें उनकी कम्पनी की सील लगी हुई थी जिस पर दो ड्राइवर मोती सिंह व वेण सिंह थे। रास्ते में अज्ञात कुछ साथियों से मिलकर दवाई के पाउडर को निकाल कर नमक व कुछ पत्थर के चूरे

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
अजमेर (राजस्थान)

से बदल दिया। उसने थानाधिकारी टाटगढ़ को प्रार्थना–पत्र प्रदर्श–पी–42 पेश किया था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया कि उसने पुलिस को ऐसा दस्तावेज नहीं दिया जिससे गाड़ी नम्बर जीजे–1 बीटी 8290 पर कौन–कौन कर्मचारी थे।

20. गवाह पी.डब्ल्यू–9 रजनीश गुप्ता ने जब्तशुदा माल को जरिये फर्द प्रदर्श–पी–83 थाने से प्राप्त किया था।

21. गवाह पी.डब्ल्यू–10 राकेश यादव दिनांक 11.3.2011 को फैडेक्स ब्रांच जयपुर का मैनेजर था। उसने ट्रक सं0 जीजे–1 बीटी 8290 में जयपुर से माल भरवाया था।

22. गवाह पी.डब्ल्यू–11 रणवीर सिंह, ईश्वर सिंह पी.डब्ल्यू–3 के कथनों की सम्पुष्टि करता है तथा अजमाल सिंह के मकान पर ट्रक खड़ा होने तथा प्लास्टिक के ड्रम्स थे तथा मौके पर की गई कार्यवाही की सम्पुष्टि करता है। अभियुक्त अजमाल सिंह के द्वारा मकान के मकान के आंगन में पेड़ के नीचे बुलट कार्टेज पत्थर के नीचे अजमाल सिंह द्वारा बरामद कराना व इसका नक्शा मौका प्रदर्श–पी–86 होना बताया।

23. गवाह पी.डब्लू. 12 मानवेन्द्र सिंह प्रकरण सं. 10/11 का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने प्रकरण में कुछ अनुसंधान किया है।

24. गवाह पी.डब्लू. 13 जेठा सिंह ने अभियुक्त वेण सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी–93 गिरफ्तारी करना व उसकी निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–93 बनाना कहा है।

25. गवाह पी.डब्लू. 14 तारू सिंह महत्वपूर्ण गवाह नहीं है। परन्तु अभियुक्त अजमाल सिंह के रिहायशी मकान से नीम के पेड़ के नीचे छिपाया हुआ बुलट उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने जब्त किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी–94 होना बताया है।

26. गवाह पी.डब्लू. 15 कैलाश गुर्जर नक्शा मौका प्रदर्श पी–76 का गवाह है। फर्द गिरफ्तारी की साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है।

27. गवाह पी.डब्लू. 16 खेम चन्द कोई महत्वपूर्ण साक्षी नहीं है।

28. गवाह पी.डब्लू. 17 रोहिताश्व ने प्रकरण संख्या 10/11 का माल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–100 में जमा करना बताया है।

29. गवाह पी.डब्लू. 18 छोटे लाल मीणा ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे सूचना मिली कि गांव रामपुरा खोडमाल में ट्रक संख्या जीजे–1–बीटी–8290 में

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अवैध रूप से कोई सामान की अदला बदली की जा रही है, उसने मौके पर पहुंच कर देखा कि अजमाल के घर के पास एक कंटनेर खडी है, व उसके घर के आगे बरामदे व कमरों में दवाईयों के ड्रमों में कई लोगों के साथ मिलकर अभियुक्त दवाईयों को निकालकर नमक व खड़िया मिट्टी मिला रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही एक दो व्यक्ति भाग गये, बाकी मुल्जिमों को मौके पर बैठे रहने की हिदायत दी। दवाइयों में मिलावट का मामला होने से उच्चाधिकारियों को सूचना दी औषधि नियंत्रक अजमेर ईश्वर सिंह को जानकारी दी वे मौके पर आये और आगे की कार्यवाही उनके द्वारा की गई। ईश्वर सिंह के द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पुष्टि की है और उसमें मौतबीर साक्षी था और उसने प्रकरण भी दर्ज किया। अनुसंधान भी किया है व अभियुक्त अजमाल सिंह से बुलेट बरामद करना बताया है जिसकी फर्द प्रदर्श पी–94 दिनांक 17–3–2011 की है। गवाह का कथन है कि ड्रग इंसपेक्टर की रिपोर्ट के साथ मौका रिपार्ट प्रदर्श–पी–66 प्राप्त हुई। (प्रदर्श–पी–66 व प्रदर्श–पी–20 एक ही है)

30. गवाह पी.डब्लू. 30 विक्रम सिंह इन्वेन्ट्री बनाने का गवाह है।

31. इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

32. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अजमाल सिंह से कारतूस जरिये फर्द प्रदर्श–पी–94 जब्त करना बताया गया। यह फर्द दिनांक 17.3.2011 की है। प्रदर्श–पी–94 में यह अंकित नहीं है कि किसी फर्द इत्तला के आधार परप बरामद कराया हो और फर्द इत्तला दौराने बहस भी योग्य लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बताने में असमर्थ रहे है। अभियुक्त को दिनांक 13.3.2011 को गिरफ्तार किया गया है, दिनांक 12.3.2011 को भी अभियुक्त घटनास्थल पर था और तत्समय उसे गिरफ्तार नहीं किया गया व दिनांक 13.3.2011 को गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कोई जिन्दा कारतूस अपने मकान में छिपा कर रखेगा, यह मनुष्य के सामान्य व्यवहार में सम्भव नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

33. जहां तक अभियुक्त अजमाल सिंह का मकान से सम्बन्ध होने का प्रश्न है, अभियुक्त अजमाल ने अपने अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह अभिकथन किया है कि वह वर्तमान में कामलीघाट में परिवार सहित रहता है। उसका कोई रहवास रामपुरा खोडमाल में नहीं है। परन्तु राशनकार्ड प्रदर्श–पी–19

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

उसका नहीं हो, यह उसने खण्डन नहीं किया है तथा प्रदर्श–पी–20 फर्द कार्यवाही में यह अंकित है कि अजमाल ने मकान अपना होना बताया, जिससे बरामदगी स्वयं अभियुक्त अजमाल सिंह के आधिपत्य से होना प्रमाणित होता है।

34. अजमाल सिंह अभियुक्त को सेम्पल का एक भाग जरिये फर्द प्रदर्श–पी–8 सुपुर्द किया गया जिसमें उसने स्वयं ने पांच सील्ड नमूने प्राप्त करना बयान किया है। प्रदर्श–पी–42 के द्वारा टेस्ट रिपोर्ट उसने प्राप्त की है। बरामदा स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है। बरामदा स्थल अभियुक्त के कब्जे में है, यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। बरामदा स्थल से लिये गये सेम्पल अभियुक्त ने प्राप्त किये और उक्त सेम्पल में से चार सेम्पल रिपोर्ट प्रदर्श–पी–36 से पी–39 के अनुसार अमानक (In sample referred to above is not of the standard quality as defined in the Drugs and Cosmetics Act,1940 and rules thereunder for the reasons given) रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। अतः Spurious drugs अभियुक्त के सज्ञान कब्जे में होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है और वह विक्रय के लिये ही थी, भारी मात्रा में बरामद की है, विक्रय के उद्धेश्य से ही स्टॉक किया जाना प्रमाणित है और वहां दवाइयों के स्टॉक करने का कोई अनुज्ञा–पत्र अभियुक्त के पास नहीं था।

35. योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त के इस तर्क में कोई शक्ति नहीं है कि सेम्पल को बदलने की पूरी सम्भावना है क्योंकि परिवादी ईश्वर सिंह ने काम में ली गई सील को अपने पास रखी और सेम्पल भी अपने पास रखे। परन्तु यह विवेचन किया जा चुका है कि सेम्पल का एक भाग सीलबंद हालत में अभियुक्त अजमाल सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी–8 सुपुर्द किया गया है। ऐसी स्थिति में सेम्पल को बदलने की कोई सम्भावना नहीं रहती ।

36. दूसरा तर्क यह लिया गया कि अभियोजन दोषपूर्ण है क्योंकि आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है और परिवाद भी प्रस्तुत किया गया है। परन्तु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 की धारा 32 के तहत अभियोजन औषधि नियंत्रक के द्वारा ही संस्थित किया जा सकता है अथवा धारा 32 में प्रावधानित किये गये व्यक्तियों द्वारा संस्थित किया जा सकता है। पी.डब्लू. 3 ईश्वर सिंह औषधि निरीक्षक होने के कारण अभियोजन संस्थित करने के लिये अधिकृत है और जो आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस में भी प्रथम सूचना सं. 10/11 उसकी रिपोर्ट पर दर्ज की गई है, उसे भी अभियोजन संस्थित किया जाना ही माना

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

जायेगा और किसी शंका निवारण के उद्धेश्य से उसके द्वारा अलग से परिवाद–पत्र प्रदर्श पत्र प्रदर्श पी–58 प्रस्तुत कर दिया गया।अतः विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पर्याप्त पालना हो चुकी है।

37. इस कार्य हेतू अभियुक्त अजमाल सिंह का सह–अभियुक्त मोती सिंह से षडयन्त्र होना प्रमाणित होता है। सह–अभियुक्त मोती सिंह वाहन सं0 जीजे–1 बीटी 8290 में चालक था, यह विवेचित की गई साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है, जो मौके पर ही अभियुक्त के साथ था जिससे उसके द्वारा आपराध कारित किये जाने का षडयन्त्र किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है और अपराध में उसकी संलिप्तता प्रमाणित होती है, क्योंकिमाल अहमदाबाद में दिया जाना था, मगर षड़यंत्र के तहत खोडमाल गांव ले जाया गया है।

38. अन्य किसी अभियुक्त का आरोपित अपराध से कोई सीधा सम्बन्ध प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि अन्य अभियुक्तगण का कोई कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है, केवल मौके पर उपस्थित बताया है। उनका आरोपित अपराध से सीधा सम्बन्ध हो, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्त वेणसिंह के विरूद्ध यह अवश्य है कि वह वाहन का चालक था परन्तु उस पर कोई ऐसा आरोप आरोपित नहीं किया है अतः उसके विरूद्ध इस बिन्दु पर साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा सकता।

39. अभियुक्त मोती सिंह को दवाइयां दिनांक 10.3.2011 को न्यस्त की गई थी, यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है जो अहमदाबाद नहीं पहुंची, अतः बतौर केरियर आपराधिक न्यास भंग किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

40. विवेचित की गई साक्ष्य से अभियुक्त मोती सिंह के द्वारा अजमाल सिंह से षडयन्त्र करना भी प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त अजमाल सिंह, मोती सिंह को धारा 120–बी भा.द.सं., अभियुक्त मोती सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 407 भा.द.सं. व अभियुक्त अजमाल सिंह व मोती सिंह को धारा 17 (बी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा धारा 420 भा.द.सं. में अलग से दोषसिद्ध किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

41. धारा 17(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 में अपेक्षित

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
आबूरोड (राज0)

दवाइयों को परिभाषित किया गया है परन्तु जांच रिपोर्ट में सेम्पल मानक स्तर का नहीं पाया गया है। प्रदर्श--पी–36 में यह अंकित किया गया है कि सेम्पल में Amoxycillin Trihydrate ही नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श–पी--37 में यह बताया गया कि उसमें Cloxacillin Sodium ही नहीं है, उसके स्थान पर Nil है। इसी प्रकार प्रदर्श–पी–38 में यह बताया गया कि उसमें Amoxycillin Trihydrate ही नहीं है, उसके स्थान पर Nil है। इसी प्रकार प्रदर्श–पी–39 में यह बताया गया कि उसमें Amoxycillin Trihydrate ही नहीं है, उसके स्थान पर Nil है। अतः इन रिपोर्ट्स के अनुसार यह धारा 17(B) (d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 की परिभाषा में आयेगा जो Spurious drugs है जिसे adulterated drugs नहीं माना जा सकता क्योंकि adulterated drugs तभी माना जाता है जब Amoxycillin Trihydrate के साथ अन्य पदार्थ मिलाया जाता और जिससे उसकी गुणवत्ता में फर्क आता। ऐसा जांच रिपोर्ट प्रदर्श–पी–36 से प्रदर्श–पी--39 से प्रमाणित नहीं होता है। अतः धारा 17(A) का आरोप प्रमाणित न होकर धारा 17(B) (d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 का आरोप प्रमाणित होता है।

41. अन्य अभियुक्तगण प्रताप सिंह, सम्पत सिंह, हेम सिंह, गणपत सिंह, भगवान लाल, भंवरसिंह, वेण सिंह, प्रेमचन्द व योगेन्द्र सिंह उर्फ हीरा सिंह को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आ दे श</u>

42. अभियुक्तगण प्रताप सिंह, सम्पत सिंह, हेम सिंह, गणपत सिंह, भगवान लाल, भंवरसिंह, वेण सिंह, प्रेमचन्द व योगेन्द्र सिंह उर्फ हीरा सिंह को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3(b), 18(a)(i), 18(a)(vi), 18(b),16(1)(a), 17(b),17(c),17A(a), 17A(b), 17A(e), 17A(f),17B(b),17B (d),17B(e) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, एवं धारा–120बी भा.दं.सं. से दोषमुक्त कर बरी किया जाता है। अभियुक्तगण नियमानुसार धारा 437--ए द.प्र.सं. के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत करे।

43. अभियुक्त अजमाल सिंह को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है।

44. अभियुक्त अजमाल सिंह को धारा 120–बी भा.द.सं. व धारा 17 (बी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा अभियुक्त मोती सिंह को आरोपित अन्तर्गत धारा 120–बी, धारा 407 भा.द.सं. व धारा 17 (बी) औषधि एवं प्रसाधन

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(उमेश कुमार शर्मा)
सेशन एवं जिला न्यायाधीश, अजमेर

45. सजा के बिन्दु पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनके साथ नरम रूख अपनाया जावे। जब कि योग्य लोक अभियोजक का कथन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

46. चूंकि अभियुक्तगण के द्वारा बनाया गया पदार्थ किसी के द्वारा काम में नहीं लिया गया है और न तत्काल हानि उससे हुई है। अतः अभियुक्तगण को धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 के तहत दण्डित किया जा सकता है, न कि धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 के तहत।

47. अतः अभियुक्त अजमाल सिंह को धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास व तीन लाख रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के कठोर कारावास व धारा 120–बी भा.द.सं. के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

48. अभियुक्त मोती सिंह को धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास व तीन लाख रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के कठोर कारावास व धारा 120–बी भा.द.सं. के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 407 भा.द.सं. के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

49. अभियुक्तगण अजमाल सिंह व मोती सिंह को दी गई उक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 द.प्र.सं. के तहत उनकी मूल सजा में समयोजित

प्रतिलिपि

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज0)

की जावे।

50. जब्तशुदा मोटरसाइकिल का निस्तारण वाहन स्वामी द्वारा आवेदन पेश करने पर पृथक से किया जायेगा। जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण हेतू जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी अजमेर को भेजा जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 22.01.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

Composed by

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

250114

जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर